उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-13/2022/आई/195836/2022/फा0नं0-10-22099/1401/2020
लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2022 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नही होना है, को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-26/2021/आई/126022/2021/10-22099/1401/2020-22 दिनांक- 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा दिनांक- 01-07-2021 से देय महंगाई राहत की दर 196 प्रतिशत की गयी।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नही होना है, को दिनांक 01-01-2022 से निम्नानुसार महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

तिथि जब से देय है	महंगाई राहत की मासिक दर
01-01-2022	203 प्रतिशत

3- यह स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, पर भी लागू होंगे।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवाकों पर लागू नही होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

6- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव,

प्रतिलिपि निम्निलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

/-

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in